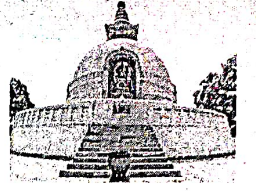


जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

Email: - ceozp.vsl-bih@gov.in



कार्यालय-आदेश

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 77 (यथा संशोधित) के अनुसार कार्यालय के संचिका संख्या-VIII-54/2016-17 के टिप्पणी पृष्ठ-42 पर जिला पदाधिकारी, वैशाली के अनुमोदन/आदेश दिनांक-23.11.2024 के आलोक में निम्नांकित जिला परिषदीय स्थायी समितियों के निम्न रूप से सचिव का नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-

क्रमांक	स्थायी समिति का नाम	सचिव हेतु नामित पदाधिकारी
1	2	3
1	शिक्षा समिति	जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली
2	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, हाजीपुर
3	लोक कार्य समिति	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली।
4	समाजिक न्याय समिति	जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली
5	उत्पादन समिति	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली

उक्त 05 (पाँच) स्थायी समितियाँ बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-78, 79 एवं यथा संशोधित अधिनियम में दिये गए प्रावधानों के अनुरूप अपना कार्य सम्पादन करेगी।

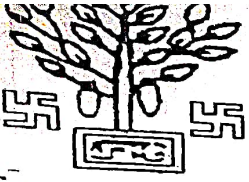
६०
उप विकास आयुक्त -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

ज्ञापांक:- 1296 /जि0परि0, हाजीपुर

दिनांक:- 26.11-2024

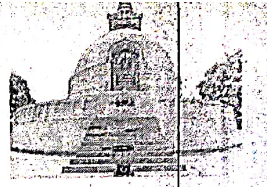
- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नामित पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी माननीय सदस्य/ स्थायी समिति सदस्य, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला अभियंता, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद, वैशाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

६०
उप विकास आयुक्त -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।



जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

Email : - ceozp.vsl-bih@gov.in



जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)।

आदेश

जिला परिषद, वैशाली के कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 77 के तहत दिनांक-19.10.2024 को सम्पन्न बैठक में निर्वाचन द्वारा चयनित सदस्यों में से अध्यक्ष, जिला परिषद, वैशाली के पत्रांक-121 दिनांक-22.10.2024 द्वारा नामित किये गये समिति के अध्यक्ष अनुसार जिला परिषद, वैशाली के 5 (पाँच) स्थायी समितियों का गठन निम्न रूप से किया गया :-

(A) उत्पादन समिति:-

1	श्री नेमधारी राय-39	अध्यक्ष
2	श्रीमती कुमारी कलावती यादव-02	सदस्य
3	श्री विनोद कुमार-04	सदस्य
4	श्री उपेन्द्र कुमार राय-35	सदस्य
5	श्री नागेन्द्र कुमार चौधरी-40	सदस्य

(B) समाजिक न्याय समिति:-

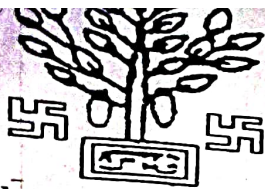
1	श्री दीपक कुमार-41	अध्यक्ष
2	श्रीमती मंजु देवी-03	सदस्य
3	श्री रामसागर सहनी-12	सदस्य
4	श्री मनीष कुमार शुक्ला-16	सदस्य
5	श्रीमती रिना देवी-17	सदस्य

(C) शिक्षा समिति:-

1	श्री मनीन्द्र नाथ सिंह-36	अध्यक्ष
2	श्रीमती रूबी कुमारी-07	सदस्य
3	श्री मुकेश पासवान-24	सदस्य
4	श्रीमती गुंजा कुमारी-26	सदस्य
5	श्रीमती विभा देवी-30	सदस्य

(D) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति:-

1	श्रीमती कुमारी ववीता रानी-01	अध्यक्ष
2	सुश्री खुशबू कुमारी,-11	सदस्य
3	श्री रामबाबु चौधरी-14	सदस्य
4	श्री मनीष कुमार शुक्ला-16	सदस्य
5	श्रीमती गुंजा कुमारी-26	सदस्य



जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)



Email : - ceozp.vsl-bih@gov.in

(E) लोक कार्य समिति:-

1	श्री मोहित पासवान-34	अध्यक्ष
2	श्री मुकेश पासवान-24	सदस्य
3	श्रीमती पिकी कुमारी-19	सदस्य
4	श्री मनीन्द्र नाथ सिंह-36	सदस्य
5	श्री राजकरण राम-37	सदस्य

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 77 (5) के अनुसार स्थायी समिति के सचिव के रूप में संबंधित विभाग के जिला स्तरीय सम्बद्ध विभाग के पदाधिकारी रहेंगे, जिसका मनोनयन जिला दण्डाधिकारी, वैशाली के द्वारा किया जायेगा।

उक्त पाँचों स्थायी समितियाँ बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 78, 79 एवं यथा संशोधित अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप अपना कार्य सम्पादन करेंगे।

80

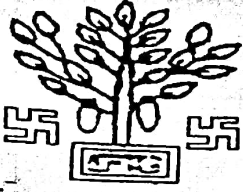
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

ज्ञापांक:- 11/11 /जि0परि0, हाजीपुर

दिनांक:- 26/10/2024

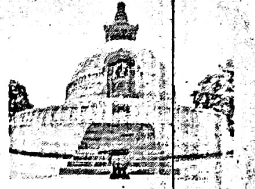
- प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य/पदेन सदस्य, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला अभियंता, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।



जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

Email : - ceozp.vsl-bih@gov.in



जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)।

आदेश

जिला परिषद, वैशाली के कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 77 के तहत दिनांक-19.10.2024 को सम्पन्न बैठक में निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों में से जिला परिषद, वैशाली के 2 (दो) स्थायी समितियों का गठन निम्न रूप से किया गया :-

(A) सामान्य स्थायी समिति:-

1	श्री आशुतोष कुमार	अध्यक्ष
2	श्रीमती निधी झा-10	सदस्य
3	श्री नीरज कुमार-21	सदस्य
4	श्री राजकरण राम-37	सदस्य
5	श्री दीपक कुमार-41	सदस्य

(B) वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति:-

1	श्री आशुतोष कुमार	अध्यक्ष
2	श्री मनोज कुमार यादव-09	सदस्य
3	श्री मनीष कुमार शुक्ला-16	सदस्य
4	श्री नीरज कुमार-21	सदस्य
5	श्रीमती अनीता देवी-23	सदस्य

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 77 (5) के अनुसार सामान्य स्थायी समिति एवं वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति के पदेन सचिव मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली होंगे।

उक्त दोनों स्थायी समितियाँ बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 78, 79 एवं यथा संशोधित अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप अपना कार्य सम्पादन करेंगे।

१०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

दिनांक:- 26/10/2024

ज्ञापांक:- 1110 / जि0परि0, हाजीपुर

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य/पदेन सदस्य, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला अभियंता, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।